

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 — फाल्गुन 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3706/डी. 39/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा.</p> <p>(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.</p> |
| धारा 13 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 13 की उप-धारा (2) का लोप किया जाये. |

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3706/डी. 39/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 10-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2021)

THE CHHATTISGARH RENT CONTROL (AMENDMENT) ACT, 2020**An Act further to amend the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Rent Control (Amendment) Act, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | Sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) shall be omitted. | Amendment of Section 13. |